

भारत सरकार  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
राज्य सभा  
अतारंकित प्रश्न सं. 1202  
उत्तर देने की तारीख: 23 मार्च, 2012

**विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मोबाइल फोनों पर प्रतिबंध लगाया जाना  
1202. श्री मोहम्मद अली खान:**

- क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार ने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मोबाइल फोनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु राज्यों को कोई निर्देश दिया है;
- (ख) यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) तत्संबंधी कार्यान्वयन स्थिति क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो राज्यों के परामर्श से ऐसा प्रतिबंध कब लगाया जाएगा ?

**उत्तर**  
**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**  
**(डा. डी. पुरंदेश्वरी)**

(क) से (घ): शिक्षा का संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण अधिकांश स्कूल तथा कॉलेज राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, अतः इस मामले में समुचित निर्णय लेना संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। तथापि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध के संबंध में दिनांक 29.07.2009 को एक परिपत्र जारी किया है।

\*\*\*